हिन्दी भाषा का प्रचार

1655. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "क" और "ख" क्षेत्रों में राजभाषा अधिनियम की पूर्णतः अवहेलना करते हुए, रोमन लिपि के कम्प्यूटरों, टेलेक्स मशीनों और टेलीप्रिंटरों जैसे दर्जनों आधुनिक यंत्रों के आगमन और अबाधित प्रयोग के फलस्वरूप हिन्दी के प्रयास का कार्य वर्षों पीछे पड़ गया है और जहां भी टेलेक्स मशीनें लगाई गई हैं वहां से एक भी तार हिन्दी में नहीं भेजा गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि "क" क्षेत्रों में अंग्रेजी के टेलेक्स यंत्रों आदि की तुलना में देवनागरी के टंकण यंत्रों, टंककों और आशुलिपिकों की संख्या नहीं के बराबर है जबकि उनकी संख्या 50:50 होनी चाहिए थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और हिन्दी भाषा के प्रचार के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह इंगती) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

राजभाषा अधिनियम में केन्द्र सरकार द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी अथवा दोनों के प्रयोग के क्षेत्रों का उल्लेख है। किन्तु इलेक्ट्रानिकी एवं यांत्रिकी सुविधाओं का कोई उल्लेख नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रारम्भ में कंप्यूटर टेलेक्स मशीन और टेलीप्रिंटर रोमन में ही उपलब्ध थे इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा उन्हीं का प्रयोग संभव था। किन्तु तत्पश्चात कंप्यूटर व टेलीप्रिंटर की सुविधाएं सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप देवनागरी में भी मिलने लगी। यह देखते हुए राजभाषा विभाग ने यह निदेश जारी किए कि द्विभाषी कंप्यूटरों, शब्द संसाधकों डेटा एन्ट्री उपकरणों, उपकरणों आदि को ही केन्द्र सरकार में खरीदा जाए। तारघरों में हिन्दी में तार भेजने की सुविधा उपलब्ध है। किन्तु यह सत्य है कि टेलेक्स मशीनों के नेटवर्क पर रोमनेतर लिपि में संदेश भेजने की सुविधा अनुपलब्ध होने के कारण टेलेक्स मशीनों पर संदेश रोमन में ही भेजे जाते हैं। इस संबंध में सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ ही समय में द्विभाषी इलैक्ट्रोनिक टैलीप्रिंटर उपलब्ध हो सकेंगे व दो द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलिप्रिंटरों के बीच रोमन व देवनागरी के संदेश भेजने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

(ख) यह सत्य नहीं है कि "क" क्षेत्र में देवनागरी के टंकण यंत्रों, टंककों और आशुलिपिकों की संख्या 50 प्रतिशत होनी चाहिए थी। राजभाषा विभाग ने "क" क्षेत्र में खरीदे जाने वाले टंकण यंत्रों का अनुपात वार्षिक कार्यक्रमों में निर्धारित किया था जिसके फलस्वरूप उनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। टंककों एवं आशुलिपिकों के भी अनुपात को प्रशिक्षण अथवा सीधी भर्ती द्वारा पूरा करने के निदेश राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए हैं व उनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। यह भी सत्य नहीं है कि "क" क्षेत्र में टंकण यंत्रों, टंककों एवं आशुलिपिकों की संख्या नहीं के बराबर है। यह संख्या हिन्दी में प्रशिक्षित टंककों एवं आशुलिपिकों की संख्या के अनुरूप में है। सरकार इस संख्या को "क" क्षेत्र में हिन्दी में निर्धारित काम को देखते हुए बढ़ाने के लिए यथासंभव प्रयत्न कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी भाषा के प्रसार के लिए उठाए जाने वाले कदमों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

राजभाषा विभाग इलैक्ट्रानिकी विभाग के साथ समन्वय कर विभिन्न कार्यालयों में द्विभाषी कंप्यूटर एवं साफ्ट-वेयर के प्रयोग को बढ़ावा दे रहा है। इस समय बाजार में बहुत से शब्द संसाधकों के पेकेज उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा व्यक्तिगत कंप्यूटरों पर देवनागरी में कार्य हो सकता

है । यहां तक कि ऐसे प्रोग्राम लिखने की भी सुविधा उपलब्ध है, जिन पर कि द्विभाषी रूप में आंकड़ों का विश्लेषण हो सकता है । देवनागरी में इलैक्ट्रानिकी उपकरणों के विकास तथा प्रयोग की समीक्षा इस विभाग में एक मंत्री-स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है । द्विभाषी टेलीप्रिंटर के विकास के लिए राजभाषा विभाग ने हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर की दस लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए हैं। विभाग ऐसी संस्थाओं तथा कार्यालयों के प्रति विशेष ध्यान दे रहा है, जो इन उपकरणों का अधिक संख्या में प्रयोग करते हैं । जैसे कि राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।

हिन्दी टंकण तथा आशुलिपि को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग ने अनेक कदम उठाए हैं । टंककों का अनुपात "क" क्षेत्र में मंत्रालयों/विभागों के मुख्यालयों के लिए 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया है और अन्य कार्यालयों के लिए यह 50 प्रतिशत है । इसी तरह यही अनुपात "क" क्षेत्र के आशुलिपिकों पर भी लागू होता है । टंकण यंत्रों के संबंध मे भी यही अनुपात लागू होता है । पहला अनुपात केवल नये खरीदे गये यंत्रों पर ही लागू होता था, लेकिन वर्तमान आदेशों में अनुपात कुल संख्या पर लगाया गया है जो कि एक महत्वपूर्ण वृद्धि है । आशुलिपिकों के अनुपात में कमी को 31-3-1990 तक पूरा किया जाना है तथा टंककों के अनुपात में कमी को 31-3-1989 तक भरना होगा । यह भी निर्णय लिया गया है कि अधिसूचित कार्यालयों में 1-4-1988 से हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी हिन्दी में भेजे जाने वाले पत्रादि के उत्तरों के मसौदे हिन्दी में ही प्रस्तुत करेंगे।

टिप्पण और आलेखन के लिए "क" क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने की पात्रता 50 हजार शब्दों से घटा कर 20 हजार शब्द कर दी गई है । इससे अनेक ऐसे व्यक्तियों को देवनागरी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिनके लिए 50 हजार शब्द लिखना कठिन था।

—

12.00 NOON

PAPERS LAID ON THE TABLE

Report (1986) of the Comptroller and Auditor General of India

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): Sir, I beg to lay on the Table, under clause (1) of article 151 of the Constitution, a copy (in English and Hindi) of the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1986, Union Government (Commercial), Part-VII Hindustan Cables Limited. [Placed in Library. *See* No. LT-5629/88].

Indira Vikas Patra (Amendment) Rules, 1988

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (3) of section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification G.S.R. No. 110(E), dated the 1st March, 1988, publishing the Indira Vikas Patra (Amendment) Rules, 1988. [Placed in Library. *See* No. LT-5639/88].

Report and Audited Accounts (1986-87) of the Indian Science Congress Association, Calcutta and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE